शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-44 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 24-31 अक्तूबर 2022 मूल्य पांच रूपए

जयराम ने बेची नौकरियां-कांग्रेस का संगीन आरोप

शिमला/शैल। अन्ततः कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया। बड़े लम्बे अरसे से इस आरोप पत्र की मीडिया और जनता में इंतजार की जा रही थी। जयराम ने कांग्रेस के आरोप पत्र को रोकने के लिए यहां तक कह दिया था कि यदि कांग्रेस ऐसा कुछ करती है तो भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सौंपे गये आरोप पत्र को सीबीआई को भेज देगी। इस परिदृश्य में अब चुनाव प्रचार के दौरान सीधे जनता की अदालत में रखे गये आरोप पत्र से भाजपा की चुनावी कठिनाईयां बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया गया है। हिमाचल में युवाओं के लिये रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र सरकार ही है। और जब सरकार में ही नौकरियां बेचने का सच सामने आ जाये तो चुनावों के साथ इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस भर्ती में छः से आठ लाख में पेपर बेचे गये। 2020 में भी 2022 की ही तरह पेपर लीक हुये थे। पंप ऑपरेटरों के पेपर चार-चार लाख में बिके। स्टाफ सर्विस कमीशन में अपनों को अलग कमरों में बैठाकर पास करवाया गया। आउटसोर्स में 94 कंपनियों को 230958224 का कमीशन दिया गया। अधिकांश कंपनियां परोक्ष/अपरोक्ष में राजनेताओं से जुड़ी हुई हैं। विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों का कच्चा चिठा आरटीआई के माध्यम से सामने आ चुका है।

पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जुलाई में स्वयं हर्ष महाजन रिकॉर्ड पर यह कह चुके हैं कि जल्द ही इस मामले में एक ऑडियो जारी किया जायेगा। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तब पुलिस को हर्ष से यह ऑडियो हासिल करनी चाहिये थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज हर्ष महाजन भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। इस मामले में जब गुड़िया मामले की तर्ज पर यह सवाल उठा था कि पुलिस के खिलाफ पुलिस की ही जांच विश्वसनीय नहीं होगी और यह जांच सीबीआई को सौंपने के आग्रह की याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी थी। तब अदालत का फैसला आने से पहले ही सरकार ने घोषित कर दिया कि यह जांच सीबीआई को सौंप गयी है। जबकि वास्तव में सरकार ने सीबीआई को ऐसा कोई पत्र भेजा ही नहीं है। यह आरटीआई में मिली जानकारी से स्पष्ट हो जाता है। इस मामले में पुलिस ने करीब सवा सौ लोगों से पूछताछ करने के बाद पेपर खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिनमें से कुछ जमानत पर हैं तो कुछ हिरासत में हैं। इन लोगों ने पेपर खरीदे हैं लेकिन खरीद का यह पैसा किन बड़े लोगों तक पहुंचा है इस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। इसी से यह आरोप गंभीर हो जाता है कि बड़ों को बचाने का प्रयास किया गया है क्योंकि यह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। जल शक्ति विभाग में 2200 करोड़ का घपला होने का आरोप है। प्रधानमंत्री की रैलियों पर ही पांच सौ करोड़ का खर्च होने का आरोप है जिसे सरकार बनने के बाद भाजपा से वसूला जायेगा।

कांग्रेस ने जो आरोप लगाये हैं वह जनता में काफी अरसे से चर्चा में हैं। आज इन आरोपों को इस तरह जनता के बीच रखने से इनकी याद दोहरा दी गयी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि वह आते ही एक जांच आयोग का गठन करेगी और जयराम सरकार द्वारा अन्तिम छः माह में लिये गये फैसलों की समीक्षा की जायेगी। कांग्रेस ने यह आरोप पत्र राज्यपाल को न सौंपकर सीधे जनता में रखा है ताकि सरकार बनते ही जांच एजैन्सीयां स्वतः ही इस पर काम शुरू कर दें। उन्हें सरकार के औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा न करनी पड़े और यही इस आरोपपत्र का सबसे गंभीर पक्ष है।

जब बागीयों ने ही नही सुनी नेतृत्व की बात तो जनता क्यों सुनेगी क्या यह हार का पहला संकेत है

शिमला/शैल। नामांकन वापसी के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के बागी चुनाव मैदान में हैं और दोनों के लिये परेशानी का कारण बनेगे यह तय है। भाजपा प्रदेश में सत्ता में है और केन्द्र में भी उसी की सरकार है तथा प्रदेश में सत्ता में वापसी करके रिवाज बदलने का दावा कर रही है। इसलिये भाजपा की स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा त्रिदेवों और पन्ना प्रमुखों की नीव पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी होने का दम भरती है। इसलिये आज इसके बागियों की संख्या कांग्रेस से तीन गुना फील्ड में होना उसके अनुशासन के दावों पर गंभीर सवाल है। बागियों को मनाने के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं फील्ड में उतरे थे। लेकिन नड्डा बिलासपुर तथा जयराम मण्डी में ही बुरी तरह असफल रहे हैं। इस असफलता को चुनावी हार का पहला संकेत माना जा रहा है। इसलिये भाजपा का केन्द्रिय नेतृत्व पार्टी की स्थिति से बुरी तरह विचलित हो रहा है। शायद इसी कारण से नड्डा और जयराम को दिल्ली तलब किया गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़े साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव परिणामों के बाद होगा। मुख्यमंत्री ने भी अपने कुछ विश्वसतो के साथ इस आशंका को साझा किया है। मुख्यमंत्री के अपने ही चुनाव क्षेत्र में जब कॉलेज और सड़क जनता के मुद्दे बन जायें तो तान्दी में बनाया गया होटल सिराज क्षेत्र के विकास का प्रतीक नहीं बन पाता है। क्योंकि सरकार के इस निवेश का लाभ जनता को न मिलकर केवल क्लब महिंद्रा को मिल रहा है।

पार्टी की यह स्थिति क्यों हो गयी इसको लेकर संघ में भी अब चिन्ता और चिन्तन चल रहा है। क्योंकि संघ के अपने चुनावी सर्वेक्षणों में भी भाजपा सरकार बनाने से बहुत दूर रह रही है। शायद इसीलिये सुरेश भारद्वाज और वीरेन्द्र कंवर जैसे मंत्रियों को चुनाव प्रचार में जाने के लिये अपने को अगला मुख्यमंत्री प्रचारित करना पड़ रहा है और विक्रम ठाकुर को बाबा राम रहीम के आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। आज पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है वहां यह सवाल गंभीरता से उठ गया है कि नेतृत्व और कार्यकर्ता में संवाद की कमी क्यों रह गयी। इसी संवादहीनता के कारण तो जयराम को उड़ने वाले मुख्यमंत्री की संज्ञा मिली है। अब यह खुलकर कहा जा रहा है की मुख्यमंत्री गोदी मीडिया की गोद से एक क्षण भी बाहर नहीं निकल पाये। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने भी गोदी मीडिया के घेरे से मुख्यमंत्री को बाहर नहीं निकलने दिया। इसी का प्रमाण है कि चार वर्षों में विज्ञापनों पर आये सवालों का जवाब तक नहीं दिया गया। केवल कड़वा सच लिखने वालों को ही दण्डित करने की योजनाएं बनती रही। सरकार धूमल को राजनीति से बाहर करने के एजैण्डे पर ही चलती रही। जिस मुख्यमंत्री के फैसलों की पटकथा गोदी मीडिया पहले ही लिख देगा उसे न तो सरकार की पारदर्शिता माना जाता और न ही मीडिया की दूदर्शिता। जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों लोकसेवा आयोग पर लिये गये फैसले को अमलीजामा न पहना सके ? जिस लोकसेवा आयोग का सदस्य अपने को चुनावी उम्मीदवार प्रचारित करवाने से परहेज न करवाये और सरकार भी इस पर चुप्पी साधे रखे तो उस सरकार को लेकर आम आदमी में क्या संदेश जा रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद सरकार का सारा ध्यान धनबल के सहारे कांग्रेस को दो फाड़ करने में लगा रहा। जब कांग्रेस नहीं टूटी तो अपने ही घर में बगावत का यह रूप देखने को मिल गया।

सरदार पटेल के विचार व चिंतन आज अधिक प्रासंगिक:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों, विचारों और चिंतन को देशहित में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में 'सरदार वल्लभभाई पटेल की भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण में भूमिका' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

आर्लेकर ने कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सरदार पटेल के जीवन व्यक्तित्व, विचारों एवं कार्यों को स्मरण करने की आवश्यकता है। देश को आजादी दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वे जीवन भर देशहित में संघर्ष करते रहे। उनका जीवन राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित रहा।

राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया जिसके लिए उन्होंने अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना भी किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की इस भावना को आगे ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना हमारी संस्कृति व परंपरा से जुड़ी है, जिसे हमने कभी नहीं खोया। सरदार पटेल ने इस एकता को बनाए रखने का कार्य किया। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है तथा उनके विचारों को आगे ले जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को सरदार पटेल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसलिए विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वह सरदार पटेल के विचारों, चिंतन और संदेश को आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि यह संस्थान इन विचारों को अंगीकार कर विकास के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी के दौरान पढ़े जाने वाले 25 शोध पत्र निश्चित रूप से इस भाव को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।

उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय का यह ठोस प्रयास इसे आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करेगा।

उन्होंने इस अवसर पर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल ने इस अवसर पर डॉ.

राकेश कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'सरदार वल्लभभाई पटेल जीवन दर्शन व राष्ट्र निर्माण में भूमिका', आचार्य ओम प्रकाश शर्मा की पुस्तक 'हिमाचली पहाड़ी भाषा लिपि व लोक साहित्य' तथा राजेश शर्मा द्वारा संपादित 'मंडी शहर के मंदिर' पुस्तकों का विमोचन किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय का न्यूज़लैटर 'मांडव क्रॉनिकल' भी जारी किया। इससे पूर्व, राज्यपाल ने 'अमृत महोत्सव सभागार' का उद्घाटन भी किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर नाथ बाजपेयी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस राष्ट्र को जोड़ा ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्र को मां का स्थान दिया है। भारत एक जीवंत आत्मा है, जिसे हमने भूगोल से जोड़ा है। उसी प्रकार संस्कृति व ज्ञान को भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने उसी भाव को मन में रखकर कार्य किया और देशवासियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने सरदार पटेल के त्याग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि उनके जीवन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आंतरिक ताकतों से लड़ने तथा अपनी भाषा एवं संस्कृति को स्थापित करने पर बल दिया।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रो. देवदत्त शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने समाज को जो दर्शन दिया, वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि 'संस्थागत आत्मीयता' के कारण यह संस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर, विशिष्ट अतिथि एवं ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान नेरी, हमीरपुर के निदेशक चेत राम गर्ग ने कहा कि देश के महान लोगों के विचार और चिंतन से समाज को दिशा मिलती है। उन्होंने इस पहल के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन नायकों के बलिदान को नेपथ्य में डाल दिया गया था, उनके कार्यों को सामने लाने का प्रयास आजादी के अमृत महोत्सव में आयोजित संगोष्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की स्पष्टवादिता और चिंतन पर विस्तृत जानकारी दी।

बीज वक्ता एवं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरू, बीकानेर विश्वविद्यालय के सह आचार्य डॉ. सुरेंद्र सोनी ने कहा कि सरदार पटेल ने असंभव को संभव कर दिखाया और राष्ट्र को संगठित करने का जो कार्य किया, वह उन्हें महान बनाता है। यही वजह है कि वे लोगों के दिलों में बस गए। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने दी भाई दूज की बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है।

अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक है जिससे समाज में एकता एवं भ्रातृत्व भाव सुदृढ़ होता है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि भाई दूज का यह त्यौहार जहां एक ओर भाई-बहन के प्रेम को दर्शाता है, वहीं यह समाज में प्रेम व स्नेह का संदेश भी देता है।

राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिला कुल्लू के देव सदन में रूपी-सराज कला मंच, हिमाचल कला, भाषा एवं संस्कृति अकादमी और संस्कार भारती हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की समृद्ध

संस्कृति और उच्च परम्पराओं की विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हमें इन परम्पराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए।

आर्लेकर ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के अस्तित्व का एक उद्देश्य होता है और हमारी परम्पराओं ने पूरी दुनिया को शिक्षित किया है। संपूर्ण विश्व हमारे विचारों, अस्तित्व, धरोहर और परम्पराओं से सीख रहा है परंतु दासता वाली मानसिकता ने हमें हमारी परंपराओं से दूर कर दिया है। अब समय है कि हम वैचारिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हों। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन हमें इस दिशा में आगे बढने के अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा प्रतिबिंब उनसे प्रदर्शित होता है। यह हमारा दायित्व है कि हम इस सम्मेलन के माध्यम से सार्थक संवाद करें और समाज के प्रति अपना योगदान देते हुए दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह नीति हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि विश्व के विकसित राष्ट्र अपनी भाषा का उपयोग करके विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वर्तमान समय की मांग है कि हम अपनी मातृभाषा को अपनाएं और इस शिक्षा नीति के कारण यह संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और परम्पराओं पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने अमृत काल के इस अवसर पर लोगों का आहवान किया कि देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने का भी आहवान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कुल्लू के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक और आदित्य ठाकुर को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। उन्होंने प्रो. इंद्र ठाकुर की किताब का विमोचन भी किया।

रूपी सराज कला मंच के अध्यक्ष प्रो. इंद्र ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि मंच विगत कई वर्षों से विभिन्न सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। कला मंच के माध्यम से पानी, पर्यावरण और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर रूपी सराज कला मंच के सचिव डॉ. दयानंद गौतम ने कला मंच की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया।

मास्को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्पीकर लारीसा वी.सर्जिना ने भारतीय लोक संस्कृति एवं पर्यावरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के मध्य गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और संस्कृति और आध्यात्मिक सोच में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने देव सदन स्थित संग्रहालय का दौरा किया और वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं में गहरी रुचि दिखाई।

इस अवसर पर कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक, गुरुदेव शर्मा, देश और विदेश के प्रतिभागी, महिला मंडलों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने भुन्तर स्थित एकीकृत नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र का दौरा किया

शिमला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुल्लू जिला के भुन्तर स्थित प्रदेश में महिलाओं के लिए पहले एकीकृत नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र का दौरा किया।

उन्होंने वहां कार्यरत परामर्श चिकित्सकों से वहां प्रदान की जा रही सुविधाओं व अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त की और केन्द्र में उपचाराधीन लोगों से बातचीत भी की। राज्यपाल ने उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग का अवलोकन भी किया और उनके प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर उपचाराधीन लोगों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने, स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए स्वयं को प्रेरित करने तथा सकारात्मक सोच के साथ घर वापस लौटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यहां उपचाराधीन लोगों को स्वयं को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उनकी सहायता के लिए तत्पर है।

इस परिसर में लड़कों के लिए 20 बिस्तर क्षमता का अलग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है जबकि महिला केन्द्र की क्षमता 15 बिस्तर की है। महिला केन्द्र की देख-रेख जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा की जा रही है। यह भी बताया गया कि 29 जून, 2022 से संचालित किए जा रहे इस केन्द्र में 140 महिलाएं ओपीडी सुविधा प्राप्त कर रही हैं और उनका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है।

इस अवसर पर उपायुक्त आशुतोष गर्ग और पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

इससे पूर्व राज्यपाल ने मनाली के सुप्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा-अर्चना की और ऋषि विशिष्ठ के मंदिर में भी शीश नवाया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

इग्नू में प्रवेश के लिए बढ़ाई गई तिथि

शिमला/शैल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई, 2022 सत्र के लिए विभिन्न यू.जी./पी.जी. मास्टर डिग्री/बैचलर डिग्री तथा डिप्लोमा /पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ा दी है।

अत: इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू की वैबसाईट (www.ignou.ac.in) पर अब 31 अक्तूबर, 2022 तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रदेश भर में स्थित इग्नू अध्ययन केन्द्रों या इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला के दूरभाष 0177-2624612 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

मतदान अधिकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य:डॉ निपुण जिंदल

शिमला/शैल। ज़िला प्रशासन के तत्वावधान में स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में स्वीप कार्यक्रम के तहत उपमंडल स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। जिसमें ज़िला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) डॉ. निपुण जिंदल, स्वीप की जिला नोडल अधिकारी एवम अतिरिक्त उपायुक्त गन्धर्वा राठौड़, आईएएस (प्रोबेशनर) सहायक आयुक्त (उपायुक्त) ओम कांत ठाकुर तथा निर्वाचन अधिकारी (एसडीएम) विश्रुत भारती विशेष रूप से उपस्थित रहे।

फतेहपुर प्रशासन ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने एवम कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जिसके तहत प्रत्येक मतदाता के घर तक 12 नवम्बर को मतदान में भाग लेने के साथ मतदान के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए आमंत्रण पत्र तथा कलाई में स्टैम्प लगाकर 'आओ मतदान करें, हम भी करेंगे' का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस मुहिम को सभी लोगों तक पहुंचाने में सम्बंधित क्षेत्र के बीएलओ का महत्वपूर्ण योगदान है। इस मुहिम को अस्पतालों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों सहित अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचानें के प्रयास किये जाएंगे।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) ने जहां फतेहपुर प्रशासन की इस प्रेरणात्मक पहल के लिए तारीफ की, वहीं इस मुहिम को ज़िला स्तर पर अपनाने की बात भी कही। उन्होंने इस मौके पर चार मतदाताओं को आमंत्रण पत्र देने के साथ कलाई पर स्टैम्प लगाकर स्थानीय प्रशासन की प्रेरणादायक पहल का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने मतदाता हस्ताक्षर दीवार पर

'मतदान से कोई भी मतदाता न छूटे' तथा हर नागरिक से मतदान में बढ़चढ़ भाग लेने का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का न सिर्फ अधिकार है बल्कि मौलिक कर्तव्य भी है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत कुल 89913 पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं जिन्होंने घर से मतदान करने के लिए आवेदन किया है के लिए पूरी गोपनीयता के तहत घर से वोट करने की व्यवस्था की गई है।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर सभी लोगों से मतदान में बढ़चढ़ कर भाग लेने एवम अपने विवेक से वोट करने का संकल्प लेने की शपथ भी दिलाई।

स्वीप कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी एवम अतिरिक्त उपायुक्त गन्धर्वा राठौड़ ने कार्यक्रम बारे जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को शतप्रतिशत मतदान के प्रति प्रेरित व जागरूक करना है ।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सशक्त लोकतंत्र और अपने देश की मजबूती के लिये मतदान में भाग लेना चाहिए। उन्होंने युवाओं से इस मुहिम को आगे बढाने की अपील करते हुए स्वयं तथा अन्य लोगों को मतदान के लिये प्रेरित करने का आहवान किया।

आईएएस (प्रोबेशनर) सहायक आयुक्त (उपायुक्त) ओम कांत ठाकुर ने भी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में सभी की सक्रिय सहभागिता का आहवान किया।

इस मौके पर मतदाताओं को मतदान के बारे में जागरूक और प्रेरित करने के लिये भाषण, नुक्कड़ नाटक तथा रंगोली आदि कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया। बच्चों द्वारा गीत संगीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को मतदान के लिये प्रेरित व जागरूक किया गया।

आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ कारवाई जारी 530 पेटी अवैध शराब पकड़ी

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने अवैध तस्करों के विरुद्ध अन्तर्राज्यीय जिलों में कारवाई करते हये शराब की 530 पेटियां कब्ज़े में

ली हैं। मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम द्वारा जारी सूचना के आधार पर राजस्व जिला बद्दी में कार्यबल द्वारा शराब के एक ट्रक को कब्ज़े में लिया गया जिसका चालक मौके से फरार हो गया। विभागीय कार्यबल द्वारा उक्त शराब के ट्रक को बद्दी पुलिस को सौंप दिया गया है और चालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत थाना बद्दी में प्राथमिकी दर्ज़ कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में जिला सोलन की टीम ने हरियाणा के सीमावर्ती गांव में कारवाई करते हुए देसी व अंग्रेजी शराब की 46 पेटियों (फॉर सेल इन हरियाणा) को कब्ज़े में लिया गया है। मामले में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई करते हुए शराब को आगामी कारवाई हेतु पुलिस को सौंप दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि जिला ऊना में भी कार्यबल द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कारवाई करते हुये देसी शराब की 35 पेटियां बरामद की गई हैं। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कारवाई करते हुये शराब सहित मामला आगामी कारवाई हेतु पुलिस को सौंप दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिला मण्डी में भी कार्यबल द्वारा करसोग एवं गोहर क्षेत्र में कारवाई करते हुए 178 लीटर लाहन/कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई करते हुए उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने बताया कि कार्यबल द्वारा सीमावर्ती राज्यों के नोडल अधिकारियों के समन्वय से सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अवैध शराब के तस्करों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि शराब की किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-8062, ई मेल vselection2022@mailhptax या व्हाट्सएप नम्बर 9418611339 पर संपर्क किया जा सकता है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के लिये जरूरी

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश 12 नवंबर 2022 को मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जिसमें 1. आधार कार्ड 2. मनरेगा जॉब कार्ड 3. बैंक डाकघर द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक 4. ड्राइविंग लाइसेंस 5.श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 6.पैन कार्ड 7. एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गये स्मार्ट कार्ड 8. भारतीय पासपोर्ट 9. फोटोयुक्त पैन्शन दस्तावेज 10. केन्द्र/राज्य सरकार/लोकउपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 11. सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र 12. यूनीक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार।

यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ऐसे अपनी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जाएंगे। बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचित की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर वर्णित किसी भी वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा

उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचन को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्रों में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।

अत: हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह किया जाता है कि वे आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपर वर्णित 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 12 नवंबर को पहचान हेतु अपने साथ ले जायें ।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने पकड़ी 9.8 किलो ग्राम चाँदी

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने अंतरराज्यीय पड़ताल नाका कुड्डू पर वाहनों की तलाशी के दौरान एक वाहन से 9.8 किलो ग्राम चांदी के जेवरात को ज़ब्त किया गया है। वाहन चालक मौके पर इन जेवरात की खरीद से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रभारी जिला शिमला रवि सूद के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा यह कारवाई की गई।

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि विभाग आदर्श चुनाव संहिता के अंतर्गत सभी अधिनियमों के तहत प्रदेश में चैकिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स द्वारा उक्त वाहन के विरुद्ध जी.एस.टी. अधिनियम एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधान के अंतर्गत आगामी कारवाई की जा रही है।

आयुक्त ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आचार संहिता से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-180-8062, ई-मेल: vselection2022@mailhptax या व्हाट्सएप नंबर 9418611339 पर कर सकता है।

कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वाचन प्रक्रिया का निर्वहन बनाया जाए सुनिश्चित:डीसी राणा

शिमला/शैल। उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव- 2022 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं सुगमता के साथ पूर्ण करने के लिए तैनात सभी अधिकारी-कर्मचारी कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रक्रिया का निर्वहन करना सुनिश्चित बनाएं।

डीसी राणा विधानसभा क्षेत्र भरमौर के तहत मतदान अधिकारियों व पीठासीन अधिकारियों के लिए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और डीएवी पब्लिक स्कूल भरमौर के परिसर में आयोजित प्रथम पूर्वाभ्यास में बोल रहे थे।

इस दौरान विधानसभा क्षेत्र भरमौर के सामान्य पर्यवेक्षक कान्हू राज एच बागटे भी विशेष तौर पर मौजूद रहे।

प्रक्रिया के सफल संचालन में टीम वर्क की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए डीसी राणा ने नियुक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य के निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि ईवीएम, वीवीपैट के सुगमता के साथ संचालन के साथ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया को लेकर निर्धारित दिशा-निर्देश का पालन करना सुनिश्चित बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ईवीएम, वीवीपैट के संचालन और मतदान प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों की जानकारी से सभी मतदान अधिकारी व कर्मचारी भली-भांति अवगत हों।

निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर नरेंद्र कुमार ने इस दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इसके अलावा मतदान कर्मियों को ईवीएम व वीवीपैट के संचालन और मतदान प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत और व्यवहारिक जानकारी भी प्रदान की गई ।

प्रथम पूर्वाभ्यास में 14 सेक्टर अधिकारियों सहित 596 मतदान कर्मियों ने हिस्सा लिया। जिसमें 296 पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारी और 296 मतदान अधिकारी शामिल रहे। पूर्वाभ्यास सत्र दो स्थानों राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और डीएवी पब्लिक स्कूल भरमौर के परिसर में आयोजित हुए।

इस दौरान एसडीएम भरमौर असीम सूद, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशन अधिकारी निशांत जसवाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि एवं सेक्टर अधिकारी डॉ. करतार डोगरा, उद्यान डॉ.अशीष शर्मा, बाल विकास एवं सेक्टर अधिकारी सुभाष दियोलिया, सहायक अभियंता जल शक्ति एवं सेक्टर अधिकारी विवेक चंदेल उपस्थित रहे।

अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है, यह आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली है।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

बैक फुट पर है भाजपा

प्रदेश विधानसभा चुनावों का प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यह दावा करना उनका धर्म और कर्तव्य दोनों है जिसे वह निभा रही हैं। वैसे मुख्य प्रतिद्वंदिता सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी दल ने ही मानी जा रही है। इस नाते प्रदेश में भी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही माना जा रहा है। टिकट आवंटन पर दोनों पार्टियों में बगावत भी उभरी और अन्त में कांग्रेस से तीन गुना ज्यादा भाजपा के बागी चुनाव मैदान में हैं। यह एक सैद्धांतिक सच है कि चुनाव में मुख्य मुद्दा सत्तारूढ़ दल की कारगुजारी ही रहती है। सरकार की यह कारगुजारी विधानसभा के हर सत्र में पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों तथा सरकार द्वारा दिये गये जवाबों के माध्यम से वर्ष में तीन बार सामने आ जाती है। यदि कोई इस कारगुजारी का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण कर ले तो उसे चुनावी निष्कर्षो पर पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि विधायकों के यह प्रश्न अपने क्षेत्र की सामान्य समस्याओं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों से जुड़े रहते हैं। प्रदेश का कोई ऐसा चुनाव क्षेत्र नहीं है जहां स्कूलों में अध्यापकों और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी न हो। इन कमियों को लेकर पांच वर्षो में दर्जनों मामले प्रदेश उच्च न्यायालय में आ चुके हैं। कर्मचारियों के तबादलों में मंत्रियों और दूसरे नेताओं का दखल कितना बढ़ चुका है इस पर कई मंत्रियों और नेताओं को उच्च न्यायालय नामत लताड़ लगा चुका है। गांव में इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों की संख्या दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों से कई गुना ज्यादा है। ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी की आंच में हर परिवार झुलस रहा है। व्यवहारिक सच को चुनावी आकलनो में बहुत ही कम लोग गणना में ले पाते हैं।

इस जनपक्ष के बाद यदि जयराम सरकार के प्रशासनिक पक्ष पर नजर डाली जाये तो जब यह सामने आता है कि इस सरकार में तो मुख्य सचिव स्तर पर लगातार अस्थिरता बनाये रखी गयी है क्यों छः बार मुख्य सचिव बदले गये? क्यों आज कई मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को बिना काम के बिठाकर सरकार का लाखों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। एनजीटी के स्पष्ट फैसले के बाद भी प्रदेश में हजारों अवैध निर्माण खड़े होने दिये गये। एनजीटी के फैसले की अवहेलना करके डवैलप्मैन्ट प्लान बनाते रहे जिसे एनजीटी ने अस्वीकार कर दिया। ऐसे दर्जनों मामले जिनसे सरकार की प्रशासन और भ्रष्टाचार पर समझ तथा पकड़ दोनों पर एक साथ कई सवाल खड़े हो जाते हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने वित्तीय कुप्रबन्धन का मामला बड़े जोर से उठाया था। सरकार बनने पर अपने पहले ही बजट भाषण से इस कुप्रबन्धन का खुलासा 18000 करोड़ का ऋण बिना पात्रता के लेने के रूप में किया। लेकिन इन आरोपों के बावजूद उसी वित्त सचिव को पद पर बनाये रखा जिस पर यह अपरोक्ष आरोप थे। इसलिये प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर कोई श्वेत पत्र नहीं लाया गया। बल्कि आज सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री का तमगा लगा लिया। लोक सेवा आयोग की जिन नियुक्तियों पर हिमाचल मांगे जवाब के नाम से चुनावों में एक पैंफ्लैट जारी किया था सरकार बनने पर सबसे पहली नियुक्ति उसी आयोग में बिना नियम बदले करके इतिहास रच दिया और आज तक उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। बल्कि सवाल ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है। 2017 का चुनाव धूमल के नाम पर लड़कर मिली सफलता का इनाम धूमल को हाशिये पर धकेल कर देने का परिणाम आज संगठन में सबके सामने हैं। यह जो कुछ इस कार्यकाल में घटा है उसी के कारण आज कुछ मंत्रियों को अपने को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियां सरकार कांग्रेस के अंदर अपने हर प्रयास के बाद पैदा करने असफल ही नहीं रही बल्कि एक्सपोज भी हो गयी और इसलिए चुनाव में लगातार बैकफुट पर जाती जा रही है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर लगाया 936.44 करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना

शिमला। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल को उसकी प्ले स्टोर संबंधी नीतियों के संदर्भ में अपनी प्रभुत्व वाली स्थिति का दुरुपयोग बंद करने और ऐसी गतिविधि से दूर रहने का आदेश जारी करने के अलावा उसपर 936.44 करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। आयोग ने गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आचरण सुधारने का भी निर्देश दिया।

ऐप डेवलपर्स के लिए, ऐप स्टोर अंतिम उपयोगकर्ताओं को अपने ऐप के वितरित करने का एक आवश्यक माध्यम बन गए हैं और ऐप स्टोर की उपलब्धता सीधे स्मार्ट डिवाइस पर स्थापित ओएस पर निर्भर है। भारत में लाइसेंस योग्य मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में बाजार की गतिशीलता में वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि गूगल के एंड्रॉइड ओएस ने अप्रत्यक्ष नेटवर्क प्रभावों का सफलतापूर्वक फायदा उठाया है। गूगल का प्ले स्टोर एंड्रॉइड मोबाइल इकोसिस्टम में ऐप डेवलपर्स के लिए मुख्य वितरण चैनल निर्मित करता है, जो इसके मालिकों को बाजार में लाए गए विभिन्न ऐप को अपने फायदे में भुनाने का मौका देता है।

अपने आकलन के आधार पर, सीसीआई ने भारत में स्मार्ट मोबाइल उपकरणों के लिए लाइसेंस योग्य ओएस और एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल ओएस के लिए ऐप स्टोर के बाजार में गूगल को प्रभुत्व की स्थिति में पाया।

इन-ऐप डिजिटल सामग्रियों की बिक्री ऐप डेवलपर्स के लिए अपनी कृतियों/नवाचारों से कमाई करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि, खरीदारी करने वाले उपयोगकर्ताओं को इन-ऐप डिजिटल सामग्रियां वितरित करने के लिए, डेवलपर्स को अपने ऐप को इस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है ताकि डिजिटल सामग्रियों की सभी खरीदारी गूगल की भुगतान प्रणाली, जो लेनदेन की प्रक्रिया को पूरी करती है, के माध्यम से हो।

गूगल की प्ले स्टोर संबंधी नीतियों के तहत यह आवश्यक है कि ऐप डेवलपर्स पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम (जीपीबीएस) का उपयोग न केवल गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से वितरित/बेचे गए ऐप्स (और ऑडियो, वीडियो, गेम जैसे अन्य डिजिटल उत्पादों) के लिए बल्कि कुछ इन-ऐप खरीदारी यानी ऐप के उपयोगकर्ताओं द्वारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड/खरीदने के बाद की गई खरीदारी के लिए भी भुगतान प्राप्त करने के लिए करें। इसके अलावा, ऐप डेवलपर्स, ऐप के भीतर, उपयोगकर्ताओं को वैकल्पिक भुगतान पद्धति वाले वेबपेज का सीधा लिंक प्रदान नहीं कर सकते हैं या ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता को ऐप के बाहर डिजिटल आइटम खरीदने (एंटी-स्टीयरिंग प्रावधान) के लिए प्रोत्साहित करती है।

यदि ऐप डेवलपर्स जीपीबीएस का उपयोग करने की गूगल की नीति का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें प्ले स्टोर पर अपने ऐप सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं है और इस प्रकार, वे एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के रूप में संभावित ग्राहकों के विशाल समूह को खो देते हैं। प्ले स्टोर तक पहुंच को सशुल्क ऐप और इन-ऐप खरीदारी के लिए जीपीबीएस के अनिवार्य उपयोग पर निर्भर बनाना एकतरफा और मनमाना है और किसी भी वैध व्यावसायिक हित से विपरीत है। ऐप डेवलपर्स खुले बाजार से अपनी पसंद के भुगतान प्रोसेसर का उपयोग करने के अंतर्निहित विकल्प से वंचित हो गए हैं।

सीसीआई ने प्रतिद्वंद्वी यूपीआई ऐप्स को प्ले स्टोर पर प्रभावी भुगतान विकल्प के रूप में बाहर करने के आरोपों की भी जांच की है। यह पाया गया कि गूगल पे को इंटेंट फ्लो कार्यप्रणाली के साथ एकी त किया गया है जबकि अन्य यूपीआई ऐप्स का उपयोग कलेक्ट फ्लो पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है। यह दर्ज किया गया कि इंटेंट फ्लो टेक्नोलॉजी कलेक्ट फ्लो टेक्नोलॉजी की तुलना में बेहतर और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिसमें इंटेंट फ्लो ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है और कम विलम्बता के कारण इंटेंट फ्लो कार्यप्रणाली के साथ सफलता दर अधिक है। गूगल ने सीसीआई को सूचित किया है कि उसने हाल ही में अपनी नीति में बदलाव किया है और प्रतिद्वंद्वी यूपीआई ऐप्स को इंटेंट फ़्लो के साथ एकीकृत करने की अनुमति दी है।

अपने आकलन के आधार पर, सीसीआई ने निष्कर्ष निकाला कि, ऐप डेवलपर्स के लिए प्ले स्टोर तक पहुंच बनाने को सशुल्क ऐप्स के लिए जीपीबीएस के अनिवार्य उपयोग पर निर्भर बनाना और इन-ऐप खरीदारी ऐप डेवलपर्स पर अनुचित स्थिति लादना है। इस प्रकार, गूगल अधिनियम की धारा 4(2)(a)(i) के प्रावधानों का उल्लंघन का दोषी पाया गया।

गूगल अपने स्वयं के अनुप्रयोगों अर्थात यूटयूब के लिए जीपीबीएस का उपयोग न करके भेदभावपूर्ण व्यवहारों का पालन करते हुए पाया गया है। यह भेदभावपूर्ण स्थिति को लागू करने के साथ-साथ मूल्य निर्धारण भी है क्योंकि यूटयूब सेवा शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा है जैसा कि जीपीबीएस संबंधी आवश्यकताओं के तहत अन्य ऐप पर लगाया जा रहा है। इस प्रकार, गूगल अधिनियम की धारा 4(2)(a)(i) और 4(2)(a)(ii) का उल्लंघन करता पाया गया।

जीपीबीएस को अनिवार्य रूप से लागू करने से नवाचार प्रोत्साहन और भुगतान संसाधकों के साथ-साथ ऐप डेवलपर्स दोनों की तकनीकी विकास और नवाचार करने की क्षमता बाधित होती है और इस प्रकार, इन-ऐप की अनिवार्यता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भुगतान संसोधित करने वाली सेवाओं के लिए बाजार में तकनीकी विकास को सीमित करने के समान है। इस प्रकार, गूगल अधिनियम की धारा 4(2)(b)(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया गया।

अधिनियम की धारा 4(2)(c) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गूगल द्वारा जीपीबीएस को अनिवार्य रूप से लागू करना भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ-साथ ऐप डेवलपर्स को बाजार में पहुंच से वंचित करता है।

अधिनियम की धारा 4(2)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, डाउनस्ट्रीम बाजारों में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए, गूगल द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणालियों के परिणामस्वरूप उसे एंड्रॉइड ओएस के लिए लाइसेंस योग्य मोबाइल ओएस और ऐप स्टोर के लिए बाजार में अपने प्रभुत्व का लाभ मिलता है।

अन्य प्रतिद्वंद्वी यूपीआई ऐप्स की तुलना में अपने स्वयं के यूपीआई ऐप को प्ले स्टोर के साथ एकीकृत करने के लिए गूगल द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों के परिणामस्वरुप अधिनियम की धारा 4(2)(a)(ii), 4(2)(c)और 4(2)(ई) का उल्लंघन होता है।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुरूप, सीसीआई एतद्वारा गूगल को निर्देश देता है कि वह अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले उन प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्यप्रणाली को अपनाना बंद करे और ऐसी गतिविधियों से दूर रहे, जैसा कि इस आदेश में विस्तार से बताया गया है। इस संबंध में कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं:

गूगल ऐप डेवलपर्स को इन-ऐप खरीदारी या ऐप खरीदने के लिए किसी भी तृतीय-पक्ष बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा और प्रतिबंधित नहीं करेगा। गूगल थर्ड पार्टी बिलिंग/भुगतान संसाधन सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे ऐप्स के विरुद्ध किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा या अन्यथा कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाएगा।

गूगल ऐप डेवलपर्स पर कोई भी एंटी-स्टीयरिंग प्रावधान नहीं लगायेगा और उन्हें किसी भी तरह से अपने ऐप और प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

गूगल किसी भी तरह से अंतिम उपयोगकर्ताओं को ऐप डेवलपर्स द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं तक पहुंचने और ऐप्स के भीतर उनका उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेगा।

गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए डेटा, इस प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसे डेटा के उपयोग और संबंधित संस्थाओं सहित ऐप डेवलपर्स या अन्य संस्थाओं के साथ ऐसे डेटा के संभावित तथा वास्तविक रूप से साझा करने के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति निर्धारित करेगा।

जीपीबीएस के माध्यम से उत्पन्न और प्राप्त किए गए ऐप्स के प्रतिस्पर्धी रूप से प्रासंगिक लेनदेन/उपभोक्ता डेटा का गूगल द्वारा अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसा कि इस आदेश में रेखांकित किया गया है, गूगल पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन उस डेटा के ऐप डेवलपर को भी एक्सेस प्रदान करेगा, जो संबंधित ऐप के माध्यम से उत्पन्न किया गया है।

गूगल ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त (कीमत संबंधी शर्त सहित) नहीं लगाएगा, जो अनुचित, भेदभावपूर्ण या ऐप डेवलपर्स को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए असंगत हो।

गूगल ऐप डेवलपर्स को प्रदान की गई सेवाओं और संबंधित शुल्क के संबंध में संवाद करने में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। गूगल एक स्पष्ट तरीके से भुगतान नीति और शुल्क (शुल्कों) के लागू होने संबंधी मानदंड को भी प्रकाशित करेगा।

गूगल अपने स्वयं के यूपीआई ऐप की तुलना में भारत में यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले अन्य ऐप्स के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा।

दंड के निर्धारण के संदर्भ में, सीसीआई ने यह पाया कि गूगल द्वारा विभिन्न राजस्व डेटा बिंदुओं को प्रस्तुत करने में स्पष्ट विसंगतियां और व्यापक अस्वीकरण थे। हालांकि, न्याय के हित में और जल्द से जल्द आवश्यक बाजार सुधार सुनिश्चित करने के इरादे से, सीसीआई ने गूगल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर अंतरिम आर्थिक दंड की मात्रा निर्धारित की। तदनुसार, सीसीआई ने अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करने के लिए गूगल पर अंतरिम आधार पर उसके औसत प्रासंगिक टर्नओवर के सात प्रतिशत की दर से 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। गूगल को आवश्यक वित्तीय विवरण और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।

नई गैर-भूकंप-प्रतिरोधी भवन रेट्रोफिट तकनीक पुरानी बस्तियों में बड़े नुकसान को रोक सकती है

शिमला। शोधकर्ताओं ने पुरानी गैर – भूकंप – प्रतिरोधी भवनों को एक ऐसी तकनीक के साथ रेट्रोफिटिंग करने का एक समाधान खोजा है जो ऐसी इमारतों को भूकंप से उनकी क्षमता से समझौता किए बिना बड़ी क्षतियों को रोक सकती है।

अर्ध – सीमित अप्रतिबंधित ईट चिनाई या प्रबलित ईट चिनाई (एससी – यूआरबीएम) में अर्ध – सीमित

नामक एक तकनीक भूकंपीय झुकाव वाले क्षेत्रों में बसावट फैलाव की समस्या को हल कर सकती है जिसमें संरचनाएं शामिल हैं जिनका निर्माण भूकंप रोकथाम भवन कोड का पालन किए बिना किया जाता है।

ऐतिहासिक रूप से अधिकांश ऐसे भवनों, जिन्हें आधुनिक भवन निर्माण प्रविधियों का उपयोग करके नहीं बनाया गया था, को तकनीकी रूप से अप्रबलित चिनाई (अनरीइनफोर्स्ड मैसनरी – यूआरएम) कहा जाता है। इस प्रकार भूकंप आने के दौरान उन्हें क्षति पहुँचने या उनके ध्वस्त होने की अधिक संभावना होती है। सस्ती और स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के कारण यूआरएम इमारतों को पारंपरिक रूप से दुनिया भर में व्यापक रूप से अपनाया गया है।

भूकंप की आशंका वाले अधिकांश विकासशील देशों के समान ही भारत के शहरी, अर्ध – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रबलित ईट चिनाई (यूआरबीएम) किया जाना एक सामान्य बात है। यह देखते हुए कि भारत के प्रमुख हिस्से भूकंपीय क्षेत्र तीन या उससे अधिक के हैं और अधिकांश यूआरबीएम भवन पुराने और संरचनात्मक रूप से कम मजबूत हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में स्थित यूआरबीएम भवनों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि अनरीइनफोर्स्ड ब्रिक मैसनरी (एससी – यूआरबीएम) तकनीक के साथ पुरानी इमारतों की रेट्रोफिटिंग किस सीमा तक ऐसी समस्या का समाधान कर सकती है। उन्होंने पाया कि एससी यूआरबीएम अपनी क्षमता से समझौता किए बिना पुनः संयोजित (रेट्रोफिटेड) भवन की ऊर्जा अपव्यय क्षमता और उसके लचीले पन को काफी बढ़ा सकता है। इसलिए ऐसी इमारतों की भूकंप के दौरान क्षमता का प्रदर्शन यूआरबीएम भवनों की तुलना में बेहतर रहेगा।

इस प्रौद्योगिकी की अवधारणा उस एक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण प्रणाली की सीमित चिनाई से विकसित हुई जिसमें जहां चिनाई की दीवारें पहले बनाई जाती हैं, और उसके बाद ही कंक्रीट के कॉलम और बीम दीवार को घेरने (सीमित) करने के लिए डाले जाते हैं। एससी – यूआरबीएम तकनीक की एक ऐसी ही समान अवधारणा है लेकिन निर्माण के प्रारम्भिक स्तर पर इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दीवार की आंशिक मोटाई के माध्यम से प्रबलित कंक्रीट (आरसी) बैंड को साथ में जोड़ना शामिल है और इसे पुराने भवनों में पुनः संयोजित या रेट्रोफिट किया जा सकता है।

शोधकर्ताओं, लक्ष्मी लता, समित रे चौधरी, सुपर्णो मुखोपाध्याय और कुंवर बाजपेयी ने दो समान पूर्ण – स्तरीय एक मंजिला ईट चिनाई वाले भवनों – पहला:पूरी तरह से अप्रबलित (यूआरबीएम) और दूसरा अर्धसीमित (सेमीनकनफाइनिंग) क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर (होरिजोंटल एंड वर्टीकल) रेट्रोफिटेड प्रबलित कंक्रीट (आरसी) तत्व के साथ सेमी – कॉन्फिडेंट अप्रबलित ईट चिनाई (एससी – यूआरबीएम) पर प्रयोग किए।

यूआरबीएम भवन की तुलना में एससी – यूआरबीएम भवन के बेहतर भूकंपीय प्रदर्शन को मापने के लिए दो भवनों को विपरीत मंदचक्रीय अर्ध – स्थैतिक लदान प्रक्रिया (रिवर्स स्लो – साइक्लिक क्वासी स्टैटिक लोडिंग प्रोटोकॉल) नामक एक परीक्षण के अधीन किया गया था। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि कार्यक्रम में सुधार के अंतर्गत प्रोफेसर दुर्गेश सी राय के मार्गदर्शन में विकसित पूर्ण प्रोटोटाइप संरचनात्मक प्रणालियों के भूकंप प्रतिरोध के किफायती प्रयोगात्मक मूल्यांकन के लिए एक छद्म गतिशील परीक्षण सुविधा (स्यूडो डायनामिक टेस्टिंग फैसिलिटी – पीडीटीएफ) का उपयोग किया गया था। इन परीक्षणों ने सिद्ध किया कि उन्नत भूकंपीय प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए यह प्रौद्योगिकी सीमित तत्वों और प्रभार (लोड) प्रभाव वाली दीवारों की बेहतर अभिन्न क्रिया प्रदान करती है। इस शोध के परिणाम एएससीई जर्नल ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में प्रकाशित किए गए थे।

वर्तमान यूआरबीएम भवनों को मजबूत करने के लिए यह तकनीक न केवल वास्तुशिल्प के रूप से आकर्षक है बल्कि इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कामगार जनशक्ति द्वारा भी आसानी अपनाया जा सकता है।

सरकार द्वारा अधिसूचित आईटी मध्यवर्ती नियम 2021 में संशोधन

शिमला। भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण दायित्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने नागरिकों और डिजिटल नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है। यह उद्गार 28 अक्तूबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार द्वारा अधिसूचित आईटी मध्यवर्ती नियम 2021 में संशोधन के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

खुले, सुरक्षित और भरोसेमंद तथा जवाबदेह इंटरनेट पर बल देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से इन संशोधनों को अधिसूचित किया है। यह डयू डिलिजेंस की आवश्यकताओं को भी बढ़ाते हैं और सोशल मीडिया व अन्य मध्यवर्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उपयोगकर्ता की ओर से की गई आपत्तिजनक सामग्री या उनके खातों के निलंबन से संबंधित शिकायतों के बारे में मध्यवर्तियों की कारवाई / निष्क्रियता के संबंध में शिकायतों की पृष्ठभूमि के बारे में इन संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

मध्यवर्तियों से अब यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा होगी कि ऐसी किसी सामग्री को अपलोड नहीं किया जा रहा है जो जानबूझकर किसी भी गलत सूचना या जानकारी का प्रसार करती है जो कि पूरी तरह से गलत या असत्य है, इसलिए मध्यवर्तियों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्यवर्ती भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करें।

नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि इंटरनेट हमारे डिजिटल नागरिकों के लिए खुला, सुरक्षित भरोसेमंद तथा जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों को शामिल कर विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद रखने के समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्यवर्तियों के साथ काम करने के सरकार के विज़न और इरादे को साझा करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने इस बात की पुष्टि की कि ये नियम सभी भारतीयों के लिए हमारे इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने तथा बरकरार रखने में सरकार और मध्यवर्तियों के बीच नई साझेदारी को चिह्नित करते हैं।

संशोधित नियम मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं और यहां उपलब्ध हैं https:/egazette.nic,in/WriteReadData/2022/239919.pdf

नियमों में प्रभावी किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं

(ए) एक वर्तमान में, मध्यवर्तियों को केवल हानिकारक/गैरकानूनी सामग्री की कुछ श्रेणियों को अपलोड नहीं करने के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना होता है। ये संशोधन मध्यवर्तियों को उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के उचित प्रयास करने का कानूनी दायित्व सौंपते हैं। नया प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यवत का दायित्व केवल औपचारिकता भर नहीं रहे।

(बी) मध्यवर्ती के नियमों और विनियमों के संबंध में प्रभावी सूचना देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सूचना क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में भी दी जाये।

(सी) नियम 3(1)के बी(ii) के आधार को 'मानहानिकारक और अपमानजनक शब्दों को हटाकर युक्तिसंगत बनाया गया है। कोई सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक है या नहीं, यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

(डी) नियम 3 के (बी) में कुछ सामग्री श्रेणियों को विशेष रूप से गलत सूचना, और ऐसी सामग्री जो विभिन्न धार्मिक/जाति समूहों के बीच हिंसा को उकसा सकती है, से निपटने के लिए अलग ढंग से व्यक्त किया गया है।

(ई) संशोधन में मध्यवर्तियों को संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता बतायी गई है, जिनमें डयू डिलिजेंस, निजता और पारदर्शिता की उचित अपेक्षा किया जाना शामिल है।

(एफ) मध्यवर्तियों की निष्क्रियता या उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने के लिए शिकायत अपील समिति समितियों की स्थापना की जाएगी। हालांकि किसी भी समाधान के लिए उपयोगकर्ताओं को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा।

2021 में आये भारत में 21.4 लाख टीबी के मामले 2020 की तुलना में 18% अधिक

शिमला। डब्ल्यूएचओ ने 27 अक्तूबर, 2022 को वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। रिपोर्ट में पूरी दुनिया में टीबी के निदान, उपचार और बीमारी के बोझ पर कोविड – 19 महामारी के प्रभाव के बारे में बताया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2022 को जारी डब्ल्यूएचओ वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 पर संज्ञान लिया है और स्पष्ट किया है कि भारत ने वास्तव में समय के साथ अन्य देशों की तुलना में प्रमुख मैट्रिक्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2021 के लिए भारत में टीबी के मामले प्रति 100,000 जनसंख्या पर 210 हैं – 2015 के आधारभूत वर्ष की तुलना में मामले भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 256 थे(18% की गिरावट आई है जो वैश्विक औसत 11% से 7 प्रतिशत अंक बेहतर है। ये आंकड़े भी मामलों की दर सबसे अधिक से सबसे कम मामलों की संख्या के मामले में भारत को 36वें स्थान पर रखते हैं।

हालांकि कोविड – 19 महामारी ने दुनिया भर में टीबी कार्यक्रमों को प्रभावित किया, भारत 2020 और 2021 में महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करके उन व्यवधानों को सफलतापूर्वक दूर करने में सक्षम रहा – इसके कारण राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने 21.4 लाख से अधिक टीबी मामलों को अधिसूचित किया, जो 2020 की तुलना में 18 % अधिक है। कार्यक्रम द्वारा वर्षों से लागू किए गए दूरदर्शी उपायों को इस सफलता की वजह बताई जा सकती है, जैसे कि सरकार को सभी मामलों की रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अधिसूचना नीति। इसके अलावा, रोगियों की जांच के लिए घर – घर जाकर सक्रिय मामले का पता लगाने का अभियान और यह सुनिश्चित करना कि कोई घर छूट न जाए, कार्यक्रम का एक स्तंभ रहा है। 2021 में, 22 करोड़ से अधिक लोगों की टीबी की जांच की गई। इसका उद्देश्य समुदाय में बीमारी के आगे फैलने को रोकने के लिए और अधिक मामलों का पता लगाना है, जिसने घटनाओं में गिरावट में योगदान दिया है। इस उद्देश्य के लिए, भारत ने पता लगाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए नैदानिक क्षमता को भी बढ़ाया है। स्वदेशी रूप से विकसित आणविक निदान ने आज देश के हर हिस्से में निदान की पहुंच का विस्तार करने में मदद की है। भारत के पास देश भर में 4,760 से अधिक 2021 में भारत में 21.4 लाख टीबी के मामले आए, 2020 की तुलना में 18% अधिक हैं, जो हर जिले में पहुंच रही हैं।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर और वैश्विक रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ को सूचित किया था कि मंत्रालय ने व्यवस्थित तरीके से घटनाओं और मृत्यु दर के अधिक सटीक अनुमान पर पहुंचने के लिए घरेलू अध्ययन शुरू कर दिया है और 2023 के शुरुआती भाग में अध्ययन के समापन के बाद भारत का डेटा प्रदान किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने भी इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति को स्वीकार किया है और रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 2000 – 2021 के लिए भारत में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर के अनुमान अंतरिम हैं और अंतिम आंकड़े अभी बाकी हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

केंद्रीय तपेदिक प्रभाग (सीटीडी) द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के अध्ययन के परिणाम लगभग छह महीने में उपलब्ध होंगे और आगे डब्ल्यूएचओ के साथ साझा किए जाएंगे। ये कदम देश में टीबी के वास्तविक आंकड़े का आकलन करने के लिए भारत द्वारा अपना स्वयं का राष्ट्रीय प्रसार सर्वेक्षण आयोजित करने के अनुरूप हैं – यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा सर्वेक्षण है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2021 में इस तरह का सर्वेक्षण पूरा किया है, 2021 एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें भारत में काफी सुधार देखा गया।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में सक्रिय टीबी रोग के उभार में एक सहायक कारक के रूप में अल्प पोषण का उल्लेख किया गया है और पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बताया गया है। इस संबंध में, टीबी कार्यक्रम की पोषण सहायता योजना – नि – क्षय पोषण योजना – कमजोर लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। 2020 और 2021 के दौरान, भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के माध्यम से टीबी रोगियों को 89 मिलियन डॉलर 670 करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया। इसके अलावा, सितंबर 2022 में, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने व्यक्तियों और संगठनों सहित समुदाय के योगदान के माध्यम से, टीबी उपचार पर अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। अब तक, देश भर में 10,45,269 से अधिक रोगियों की सहायता के लिए 40,492 दानदाता आगे आए हैं।

कांग्रेस बगावत रोकने में हुई कामयाब शुक्ला बोले जीत लिया सत्ता का सेमीफाइनल

शिमला/शैल। कांग्रेस में बगावत रोकने में कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी और सांसद राजीव शुक्ला ने बगावत रोकने के लिए मोर्चा संभाला। राजीव शुक्ला की रणनीति के तहत कांग्रेस में बगावत रोकने में कामयाब रहे हैं। राजीव शुक्ला के प्रयासों से ही कांग्रेस के 8 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस पार्टी में

बगावत रोककर राजीव शुक्ला ने चुनावों का सेमीफाइनल जीत लिया है। जिससे कांग्रेस के लिए चुनावों को फाइनल जीतने में कामयाबी हासिल होगी। दूसरी तरफ भाजपा बगावत रोकने में नाकाम रही है। भाजपा के दर्जनों बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने बगावत रोकने के लिए धन बल का प्रयोग किया, निर्दलीय लड़ रहे नेताओं को धमकियां भी दी लेकिन बगावत रोकने में कामयाब नहीं हुये। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर और शिमला में डेरा डालकर बगातव रोकने के प्रयास करते रहे लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने ऐसी रणनीति बनाई कि कांग्रेस पार्टी को बागियों ने नामांकन वापस लेकर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए साथ में जुट गए। जिसमें प्रमुख रुप से ऊना जिले की चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने नामांकन वापस ले लिया है। पार्टी को टिकट न मिलने से पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक रहे कुलदीप कुमार ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर दिया था जो आज वापस ले लिया। इनके साथ ही बिलासपुर से पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा ने नामांकन वापस ले लिया है। कांगड़ा जिले की इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में कांग्रेस के दो बार प्रत्याशी रहे कमल किशोर ने नामांकन वापस लिया है। बिलासपुर जिले की झंडूता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे वीररुाम किशोर ने भी नामांकन वापस लिया है। इसी प्रकार देहरा विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार, ईशान कुमार तथा राकेश कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन वापस लिया है। पावंटा साहिब से शमशेर अली कासमी और शिमला जिले की रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विषेश्वरदास ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया है। वहीं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से करन परमार ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन वापस लिया। इसी तरह नाचन विधानसभा क्षेत्र से हेमचंद्र, चौपाल से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सबला राम चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन वापस लिया है। इन सभी नेताओं को मनाने में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री व प्रचार कमेटी के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के सह प्रभारी गुरकीरत कोटली, तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू, संजय दत्त तथा विप्लव ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई है।

राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में जुटे हैं। कांग्रेस विचारधारा के सभी नेता एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशियों को जिताने के लिए कार्य करेंगे। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का हक है। टिकट न मिलने से कुछ कार्यकर्ता नाराज हुए थे लेकिन अब नाराजगी खत्म हो गई है। सभी एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। राजीव शुक्ला ने कहा कि सभी का लक्ष्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। कांग्रेस सरकार बनने पर सभी को सम्मान दिया जाएगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर है। प्रदेश की जनता जनविरोधी भाजपा सरकार को हटाने के लिए तैयार है। कांग्रेस सरकार बनने पर जनता को दी गई कांग्रेस की हर गारंटी को पूरा किया जाएगा।

जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि विकास के मामले में उसने जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के साथ बड़ा भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की ओल्ड पैन्शन बहाल करेगी।

अपने चुनावी दौरे में किन्नौर जिला के सांगला व कुल्लू जिला के आनी में कांग्रेस प्रत्यशियों के पक्ष में चुनावी जन सभाओं को सम्बोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इनकी गलत नीतियों व निर्णयों ने देश को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला इसका सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में इसके नेताओं ने करोड़ो रूपये कमाये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इस घोटाले की जांच करेंगी व दोषियों को कड़ी कानूनी सजा दिलाई जाएगी।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों व सेब बागवानों की घोर उपेक्षा की है। आज इस सरकार से हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज 70 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। डबल इंजन का दावा करने वाली भाजपा सरकार के दोनों इंजन अब पटरी से उतर रहें है। प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है।

प्रतिभा सिंह ने लोगों से कांग्रेस को भारी बहुमत देने का आहवान करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेंगी।

कांग्रेस ने 6 नेताओं को किया निष्कासित

शिमला/शैल।अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला सांसद की स्वीकृति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के आदेशों की अवहेलना व प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के 6 नेताओं को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिये पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है।

निष्कासित नेताओं में पच्छाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, सुलाह से पूर्व विधायक जगजीवन पाल, चौपाल से पूर्व विधायक डॉ.सुभाष मंगलेट, ठियोग से विजय पाल खाची, आनी से परस राम व जयसिंहपुर से सुशील कौल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आचार संहिता के दौरान की जा रही कारवाई

शिमला/शैल। प्राय: यह देखा गया है कि चुनाव के दौरान अन्य दिनों की तुलना में असमाजिक तत्व नशा तस्कर इत्यादि अधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा शराब ड्रग्स नगदी व अन्य वस्तुओं को मतदाताओं के बीच बांट कर चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के

मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा 14 अगस्त 2022 को आचार संहिता लगा दी गयी है। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश द्वारा नशा व शराब तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष बंदोबस्त किये गये हैं ताकि चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा चुनाव पूर्व ड्यूटीयों के लिए सीएपीएफ की 25 कंपनियां दी गई हैं तथा इन कंपनियों को प्रदेश पुलिस सहित राज्य की सीमा पर तैनात करके सीमाओं की पूरी तरह नाकाबंदी की गई है।

राज्य भर में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 238 फ्लाइंग स्क्वायड व 238 स्टैटिक सर्विलैंस टीम्ज का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस व अन्य विभागों के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। जो अवैध शराब नशे की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कारवाई कर रहे हैं।

वर्ष 2019 में हुये आम चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव संहिता के पहले 15 दिनों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 176 अभियोग दर्ज किये गये हैं व 5888.75 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। एनडी एंड पीएस एक्ट के अंतर्गत 50 अभियोग दर्ज किये गये जिसमें 205.9 ग्राम हीरोइन(चिट्टा) 1.277 किलोग्राम चरस जब्त की गई थी।

विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आचार संहिता के पहले दिन 15 दिन के दौरान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 297 अभियोग दर्ज किये गये जो कि वर्ष 2019 से 69% अधिक है व 10414 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई जो वर्ष 2019 से 76% अधिक है। एनडी एण्ड पीएस एक्ट के अंतर्गत 68 अभियोग दर्ज किये गये जो 2019 से 36% अधिक हैं। कुल 935 ग्राम हीरोइन चिट्टा पकड़ी गई जो वर्ष 2019 में 355 % अधिक है और 19.412 किलोग्राम चरस जब्त की गई। जोकि वर्ष 2019 से लगभग 1400% की गई थी इसके साथ ही इस वर्ष 3 . 58 ग्राम एमडीएमए ड्रग भी पकड़ी गई है।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार नशीले व अवैद्य पदार्थो की तस्करी अवैध खनन रोकने के लिए 1 अक्तूबर 2022 से 31 अगस्त 2022 तक राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया गया। राज्य पुलिस के इन प्रयासों से 28 अक्तूबर 2022 तक राज्य भर में खनन माफिया के विरुद्ध तीन केस विभिन्न जिलों में दर्ज किए गये तथा 486 चालान करके 2928320 रूपये का जुर्माना वसूला गया।

शराब माफिया के विरुद्ध विभिन्न जिलों में 409 केस दर्ज किये गये जिनमें 5425030 मिलीलीटर देसी शराब 2151060 मिलीलीटर अंग्रेजी शराब 949320 मिलीलीटर बीअर 2196050 मिलीलीटर कच्ची शराग जब्त की गई तथा नशा माफिया के विरुद्ध विभिन्न जिलों में 118 केस दर्ज किये गये। जिनमें 34.30 किलोग्राम चरस 1.171 किलो चिट्टा 158.24 ग्राम भूक्की की 36.45 ग्राम अफीम 824 ग्राम गांजा 4000 अफीम के पौधे 3.58 ग्राम एमडी-एम ए बरामद किया गया।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान नशा अवैध शराब तस्करों और एवं असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कारवाई की जा रही है।

चुनाव के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से लगती सीमायें सील

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य मे हो रहे विधान सभा चुनाव-2022 के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं को पूरी तरह से सील किया गया है। पुलिस द्वारा सीमा पर गश्त की जा रही है तथा गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है।

राज्य पुलिस द्वारा उठाये जा रहे इन ठोस कदमों के परिणामस्वरूप दिनांक 30.10.2022 को पुलिस जिला नुरपूर में पुलिस द्वारा नाके में चैकिंग के दौरान चण्ड़ीगढ़ नम्बर की एक गाड़ी से हरसिन्दर पाल सिंह निवासी चण्ड़ीगढ़ के कब्जे से 02 करोड़ रूपये बरामद किए गए हैं, जो कि हिमाचल पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी है।

संजय कुन्डू, पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला नुरपूर व उनकी टीम को 2 करोड़ रूपये की बरामदगी के लिए बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विधान सभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पर्यवेक्षकों से सीधे कर सकते हैं चुनाव संबंधी शिकायत

शिमला/शैल। जिला मंडी में विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने 5 सामान्य तथा 3 व्यय पर्यवेक्षक लगाये गये हैं । यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरिंदम चौधरी ने दी । उन्होंने बताया कि लोग चुनाव प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी शिकायत सीधे संबंधित क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक और चुनाव व्यय से जुड़ी शिकायत व्यय पर्यवेक्षक से कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए आईएएस अधिकारी डॉ. अंगमुथु, नाचन व सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए आईएएस अधिकारी डॉ. रणजीत कुमार सिंह, सुन्दरनगर, मंडी सदर तथा बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लिए आईएएस अधिकारी कु.जी. सरिजाना, द्रंग व जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आईएएस अधिकारी हरी जवाहर लाल तथा धर्मपुर व सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए आईएएस अधिकारी जय सिंह को सामान्य पर्यवेक्षक होंगे जबकि भारतीय राजस्व सेवा के विनोद कुमार वी.करसोग, नाचन तथा सराज विधानसभा क्षेत्र, आशीष चौरसिया सुन्दरनगर, मंडी सदर, बल्ह तथा द्रंग जबकि लोकेश कुमार जैन जोगिन्द्रनगर, धर्मपुर तथा सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के व्यय पर्यवेक्षक होंगे ।

उन्होंने बताया कि सामान्य पर्यवेक्षक आईएएस अधिकारी डॉ. अंगमुथु का मोबाइल नंबर 94530-51119 व 82195-74499, आईएएस अधिकारी डॉ. रणजीत कुमार सिंह का मोबाईल नम्बर 94088-77644 व 98162-41263, आईएएस अधिकारी कु.जी. सरिजाना का 80080-11110, आईएएस अधिकारी हरी जवाहर लाल का 77027-62347 व 94599-28848 जबकि आईएएस अधिकारी जय सिंह का मोबाईल नम्बर 94310-02824 है। उन्होंने बताया कि व्यय पर्यवेक्षक विनोद कुमार वी. का मोबाईल नम्बर 94184-11340, आशीष चौरसिया का 77689-46077 तथा लोकेश कुमार जैन का 99300-54385 है।

32 स्टार प्रचारक सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित

शिमला/शैल। विधानसभा चुनावों में रिवाज बदलने के लिए प्रदेश भाजपा 30 अक्तूबर को विजय संकल्प अभियान के साथ शंखनाद करेगी। भाजपा

प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा के सभी स्टार प्रचारक 30 अक्तूबर को प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 'विजय संकल्प अभियान' के द्वारा चुनावी शंखनाद करेंगे। उन्होंने बताया कि 32 स्टार प्रचारक प्रदेश के विभिन्न ज़िला एंव विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

सुरेश कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और हम जनता के समक्ष चुनावी रिपोर्ट कार्ड लेकर उपस्थित हो रहे हैं। कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ड़बल ईजन सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिसमें एम्स जैसा संस्थान हिमाचल को मिलना, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अटल टनल और रेणुका बांध आदि प्रमुख हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का हिमाचल में चलना अभूतपूर्व उपलब्धि है। यह प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल के लिए विशेष लगाव का प्रतीक हैं।

सुरेश कश्यप ने कहा कि ड़बल इंजन की हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक का ईलाज़ मुफ्त करवाया तो प्रदेश की भाजपा सरकार ने हिमकेयर के माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त ईलाज़ प्रदेश की जनता को समर्पित किया। इसी तरह केंद्र की मोदी सरकार ने उज्जवला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को गैस के सिंलेडर मुफ्त उपल्बध करवाए और प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर गृहिणी सुविधा योजना के तहत मुफ्त गैस सिंलेडर उपलब्ध करवाए। यह ड़बल ईजन सरकार के कार्यो का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

सुरेश कश्यप ने बताया कि रिवाज बदलने की प्रथा 4 राज्यों से शुरू हो चुकी है और अब हिमाचल में भी रिवाज बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यो के बलबूते, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और ईमानदार नेतृत्व के बल पर वापिस सत्ता में आ रही हैं।

सोलन के पदाधिकारियों ने छोड़ी आप कांग्रेस का थामा हाथ

शिमला/शैल। सोलन विधान सभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

प्रतिभा सिंह सांसद के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व नगर निगम सोलन के पार्षद सरदार सिंह ठाकुर की अगवाई में होली लाज में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समक्ष आम आदमी पार्टी के अनूसचित जाति विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार, किसान विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष अनोखी राम वर्मा, अम्बेदकर विंग के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार, ट्रेड यूनियन सोलन के उपाध्यक्ष बक्शी चंद जसवाल, आंजी पंचायत प्रमुख मनोज कुमार तथा पूर्व पंचायत प्रधान मशीवर व सदस्य सोलन चत्तर सिंह रघुवंशी आम आदमी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी के पटके पहनाकर उनका स्वागत किया और विधान सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रशासन यशवंत छाजटा तथा शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत चनोग के प्रधान मनोज कुमार व अजय पंवर भी उपस्थित थे।

आम आदमी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सभी सदस्यों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पूर्ण विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम सब एकजुट हो कर सोलन से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनी राम शांडिल की जीत सुनिश्चित करने के लिए पुरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करेंगे और सोलन से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी भारी मतों से विजय पताका फहराएगे। इन लोगों ने कहा कि हम सोलन विधान सभा के अलावा अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेगे।

इसके पश्चात सभी लोगों ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव व शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का आश्वासन दिया।

चुनावी निगरानी टीम ने डमटाल में गाड़ी से पकड़ा 2 करोड़ रुपये कैश

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले के सीमांत क्षेत्र डमटाल में चुनावों के मद्देनजर लगाये गये नाके पर पुलिस की एक टीम

ने एक गाड़ी से 2 करोड़ रुपये कैश बरामद किया है। मामले में आगे तफ्तीश जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि चुनावों को शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। स्टेटिक निगरानी दल और पुलिस टीमें विभिन्न जगहों पर गाड़ियों की जांच के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं।

डॉ. निपुण जिंदल ने ज्वाली क्षेत्र के ज्वाली पोलिंग बूथ, जो संवेदनशील की श्रेणी में है, पर जाकर आसपास के लोगों और व्यापारियों से बातचीत की तथा चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी उनकी समस्याओं और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को लेकर जानकारी हासिल की। उन्होंने आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था चाक चौंबद रखने का भरोसा दिलाया।

इस मौके पर अर्धसैनिक बल और पुलिस की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया।

डॉ. निपुण जिंदल ने ज्वाली और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों मे तैनात स्टेटिक निगरानी टीमों द्वारा लगाये नाकों का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने खुद भी नाके पर कई गाड़ियों के दस्तावेज जांचे और ड्यिूटी पर तैनात अधिकारियों को पूरी सतर्कता से काम करने तथा हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिये।

आबकारी विभाग ने पकड़ी 674 पेटी अवैध शराब व 6318 लीटर लाहन

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा आदर्श चुनाव संहिता के मद्देनजर अवैध शराब के

खिलाफ कारवाई जारी है। विभाग द्वारा गठित कार्य बल ने सूचना के आधार पर मण्डी जिला के भांबला चौक में एक बन्द पड़ी दुकान के निरीक्षण के दौरान 53 पेटी व चार बोतल आईएमएफएल फॉर सेल इन चण्डीगढ़/पंजाब पायी गयी। कार्यबल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस मामले को पुलिस थाना हटली के सुपुर्द कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कार्यबल ने पिछले तीन दिनों में प्रदेश के मंडी, चम्बा, कुल्लू, सोलन, शिमला, बिलासपुर जिलों एवं पुलिस जिला बद्दी तथा पुलिस जिला नूरपुर में कारवाई करते हुए लगभग 12388.65 लीटर शराब को जब्त किया है।

उन्होंने बताया कि जिला मंडी, चम्बा, कुल्लू, और पुलिस जिला नूरपुर में कार्यबल ने जहां 6318 लीटर लाहन/कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जब्त करते हुए नियमानुसार मौके पर नष्ट किया है वहीं शराब की 674 पेटियों को कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आदर्श चुनाव संहिता लागू है तथा विभाग की अवैध शराब के विरुद्ध कारवाई जारी है। सभी नोडल प्रभारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग ने वाहनों की सघन तलाशी अभियान के अंतर्गत सोने एवं चांदी के आभूषणों की बरामदगी के उपरांत छानबीन कर हि.प्र. जीएसटी अधिनियम के अनुसार कारवाई की है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा चोर रास्तों एवं संदिग्ध परिसरों पर भी की कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर भी उड़नदस्तों द्वारा नाके लगा कर वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सभी जिला नोडल अधिकारियों, जोनल प्रवर्तन/नोडल प्रभारियों को शराब के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

ई–कैच के माध्यम से रखी जा रही है चुनावी व्यय पर नजरः डॉ निपुण जिंदल

शिमला/शैल। विधानसभा चुनाव के दौरान जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू

करने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने जिले में विभिन्न नाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसएसटी और फ्लाइंग टीमों की कार्य प्रणाली का जायजा लिया। उपायुक्त ने पालमपुर, नगरोटा और धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में नाकों पर तैनात टीमों का निरीक्षण कर वहां तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को पूरी मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यो को पूरी जिम्मेदारी से करें। किसी भी संदिग्ध वाहन की तत्काल चेकिंग करें और अनाधिकृत नकदी, शराब व हथियार की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दें। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में एसएसटी और फ्लाइंग टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसके साथ ही डॉ. निपुण जिंदल ने जिला में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित मतदान कर्मियों की पहली चुनावी रिहर्सल का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में आदर्श चुनाव संहिता कि कानूनों को लागू करने के लिए स्टेटिक सर्विलांस टीमों द्वारा नाके स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई-कैच के आंकड़ों के अनुसार चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 1801 नाके एसएसटी द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं और 33685 वाहनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा निरंतर इन नाकों का औचक निरीक्षण किया।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले में चुनावों के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए ई-कैच ऐप कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव तैयार की है। इस ऐप की मदद से फील्ड में तैनात विभिन्न निगरानी दलों के कामकाज को आसान और अधिक प्रभावी बनाने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही जिलेभर में तैनात विभिन्न चुनाव निगरानी दलों में बेहतर समन्वय और उनके काम काज पर नजर रखने में भी ये ऐप सहायक है। उन्होंने बताया कि ई-कैच ऐप के माध्यम से व्यय निगरानी दल मौके पर ही वाहनों की चेकिंग इत्यादि की डिटेल और जब्त सामान की रिपोर्ट प्रेषित कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

क्या भाजपा का मनकोटिया प्रयोग सफल हो पायेगा?

मनकोटिया के पुराने सवालों से उठी चर्चा

शिमला/शैल। पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया अब भाजपा में शामिल हो गये हैं। विजय सिंह मनकोटिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कांगड़ा के साथ भेदभाव किया है। कांगड़ा में कोई बड़े कद का नेता ही नहीं छोड़ा है। इससे पहले मनकोटिया कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुये पूरे कांगड़ा में किस विधानसभा में किस राजनेता का परिवार ही आगे राजनीति में आया है इस पर एक लंबी प्रेस वार्ता कर चुके हैं। शाहपुर से ही भाजपा मंत्री सरवीण चौधरी के खिलाफ करोड़ों की संपत्ति बनाने के आरोप लगाते हुये सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से बाहर निकले थे और अपनी पार्टी बनाने की बात की थी तब भी मनकोटिया ने एक पत्रकार वार्ता में दावा किया था कि अमरेन्द्र की पार्टी की हिमाचल की जिम्मेदारी वह संभालेंगे। अब अमरेन्द्र ही भाजपा के हो गये हैं तो मनकोटिया भी भाजपा के हो गये हैं। लेकिन दोनों की टाइमिंग अलग – अलग होने से नहीं लगता कि इस पर किसी ने किसी से कोई सलाह ली हो। यह सवाल इसलिये प्रसांगिक हो गये हैं क्योंकि परिवारवाद के सिद्धांत को आज भाजपा ने हिमाचल के चुनाव में ही किनारे कर दिया। ऐसे में कांग्रेस पर यह आरोप लगाना बेमानी हो जाता है। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा कितनी ईमानदार और गंभीर रही है यह सरवीण चौधरी को प्रत्याशी बनाये जाने से स्पष्ट हो जाता है। मनकोटिया को सरवीण चौधरी के लिये वोट मांगने पड़ रहे हैं। यही नहीं कांगड़ा के ही मंत्री विक्रम ठाकुर चुनावी जीत के लिये बलात्कार के दोषी पाये गये और जेल की सजा काट रहे बाबा राम रहीम की चौखट पर आशीर्वाद मांगने पहुंच गये। पूरी भाजपा इस मुद्दे पर खामोश रही है। यह भाजपा के अपराध के प्रति चरित्र का एक प्रमाण है।

मनकोटिया एक समय तक राजनीति में जिन सिद्धांतों के लिये आवाज उठाते रहे आज भाजपा में जाकर उनका कोई जवाब दे पायेंगे? क्या भाजपा में जाकर मनकोटिया के लिये यह मुद्दे नहीं रहेंगे? मनकोटिया पांच बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस, जनता दल और बसपा में रह चुके हैं।

स्व.वीरभद्र सिंह के साथ टकराव में रहे हैं और इसी टकराव के कारण कांग्रेस के अन्दर बाहर होते रहे। लेकिन आज उम्र के जिस पढ़ाव पर भाजपा में शामिल हुये हैं वहां उनका स्थान केवल मार्गदर्शक मण्डल तक ही रहेगा। क्योंकि भाजपा का उम्र का सिद्धांत उनको चुनावी राजनीति से बाहर कर देता है। वैसे तो जब नरेन्द्र मोदी कांगड़ा आये थे तब मनकोटिया ने कुछ दैनिक समाचार पत्रों को एक विज्ञापन जारी करके मोदी की बहुत प्रशंसा की थी। तब यह क्यास लगे थे कि शायद मोदी की उपस्थिति में मनकोटिया भाजपा के हो जायेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मोदी की कांगड़ा यात्रा की पूर्व संध्या पर केन्द्र की अग्निवीर योजना आ गयी और इसका पहला विरोध कांगड़ा एयरपोर्ट से ही शुरू हो गया। पुलिस और युवाओं में मुठभेड़ तक हो गयी। मनकोटिया ने इस अग्निवीर योजना का विरोध किया है। कांगड़ा के साथ कांग्रेस के भेदभाव बरतने के आरोप में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि भाजपा ने कांगड़ा को क्या दिया। बल्कि आरोप लगा है कि कांगड़ा के कई कार्यालय तो मण्डी पहुंचा दिये गये हैं। कांगड़ा का राजनीतिक कद कम करने के लिये कांगड़ा को तीन भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है।

इस परिदृश्य में राजनीतिक हलकों में यह सवाल उछल रहा है कि मनकोटिया क्यों भाजपा में गये? मनकोटिया के आने से भाजपा को क्या लाभ हुआ है। माना जा रहा है कि जब संघ भाजपा और गुप्तचर एजैन्सियों के किसी भी चुनावी सर्वेक्षण में भाजपा की सरकार नहीं बनी तब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए साम दाम और दण्ड की नीति अपनाई गयी। क्योंकि भाजपा अपने काम पर नहीं बल्कि अपने पैसे और संसाधनों के दम पर ही चुनाव जीतने की योजना बना रही थी। इस योजना के तहत ही सबसे पहले मीडिया को अपने साथ किया। मीडिया के बाद कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेताओं को धनबल के माध्यम से भाजपा में लाने के प्रयास किये गये। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध के बयान से इस योजना का सच सामने आ गया। जिसका भाजपा आज तक खण्डन नहीं कर पायी। मनकोटिया और हर्ष महाजन शायद इसी योजना के तहत भाजपा में लाये गये हैं। अब यह देखना रोचक होगा कि कब तक है भाजपा में बने रहते हैं।

क्या हर्ष महाजन बैंक भर्ती घोटाले की जांच से बचने के लिए भाजपा में आये

शिमला/शैल। कांग्रेस नेता रहे पूर्व मंत्री हर्ष महाजन अब भाजपा ने आकर स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल हो गये हैं। हर्ष महाजन लम्बे समय से चुनावी राजनीति को अलविदा कह चुके हैं और भाजपा में आकर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर्ष महाजन को संघ भाजपा की विचारधारा की अब समझ आ गयी है और कांग्रेस भाजपा में आकलन करते हुये उन्हें भाजपा बेहतर लगी है। लेकिन भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने वैचारिकता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। केवल कांग्रेस के प्रदेश और केन्द्रिय नेतृत्व पर किसी दूसरे की बात न सुनने का आरोप लगाया है। लेकिन यह आरोप लगाते हुये उनका ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पिछले आठ वर्ष से देश को केवल अपने ही मन की बात सुनाते आये हैं। आठ वर्षो में कोई पत्रकार वार्ता तक संबोधित नहीं की है इसलिये भाजपा – कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेतृत्व की तुलना करते हुये हर्ष महाजन का आरोप जमीन पर नहीं ठहर पाता है और इसलिये गले नहीं उतरता है।

क्योंकि कांग्रेस में आज हर्ष महाजन कार्यकारी अध्यक्ष थे और पूर्व में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। स्मरणीय है कि जब वह बैंक के अध्यक्ष थे तब बैंक में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर एक बड़ा विवाद उठा था। भाजपा ने इसको अपने आरोपपत्र में प्रमुखता से उठाया था। जयराम की सरकार बनने के बाद विभागीय स्तर पर इसकी प्रारंभिक जांच करने के बाद इसमें बाकायदा एफ आई आर दर्ज करके मामले की जांच करने के आदेश जुलाई 2018 को विजिलैन्स को दिये गये थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की संस्तुति के बाद यह मामला विजिलैन्स को भेजा गया था। लेकिन आज तक इस पर कोई कारवाई नहीं हो पायी है। चर्चा है कि जब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि कांग्रेस चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेगी तो उस दौरान यह पड़ताल की जा रही थी कि कांग्रेस के किस – किस नेता को विजिलैन्स के माध्यम से साधा जा सकता है। उस पड़ताल में हर्ष महाजन का नाम सामने आने के बाद हर्ष भाजपा के हो गये यह सामने है।

यही नहीं हर्ष महाजन ने नवंबर 2016 में नोट बन्दी लागू होने के बाद 16 मई 2017 को एक गाड़ी खरीदी थी। लेकिन मई 2017 में खरीदी गई इस गाड़ी का पंजीकरण 16 मार्च को गाड़ी खरीदने से पहले ही हो गया। यूनाइटेड इन्श्योरेंस कंपनी से इसका इन्श्योरस 2 मार्च को ही हो गया। अभी मार्च 2023 तक इसका इन्श्योरेंस है यह दस्तावेज भाजपा के कई हलकों में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वभाविक है कि नोटबंदी के बाद बड़ी गाड़ी खरीदना और खरीद से पहले ही उसका पंजीकरण और इन्श्योरेंस करवा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। भाजपा ने शायद इन्हीं अनुभवों का लाभ लेने के लिये उन्हें अपने यहां सम्मानित किया है और वह भी साम दाम की नीति अपनाकर कांग्रेसियों को भाजपा में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

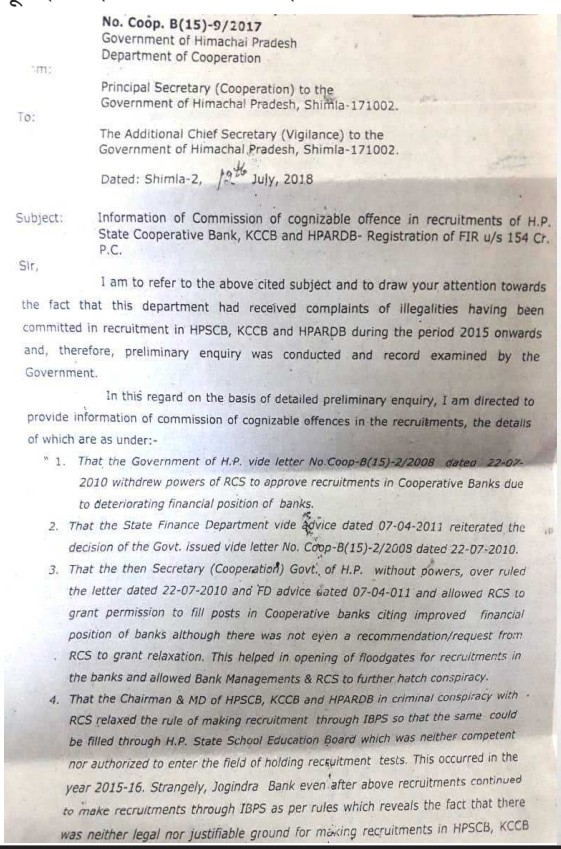

No. Coop. B(15)-9/2017
Government of Himachal Pradesh
Department of Cooperation

From:
Principal Secretary (Cooperation) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

To:
The Additional Chief Secretary (Vigilance) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Dated: Shimla-2, 19th July, 2018

Subject: Information of Commission of cognizable offence in recruitments of H.P. State Cooperative Bank, KCCB and HPARDB- Registration of FIR u/s 154 Cr. P.C.

Sir,

I am to refer to the above cited subject and to draw your attention towards the fact that this department had received complaints of illegalities having been committed in recruitment in HPSCB, KCCB and HPARDB during the period 2015 onwards and, therefore, preliminary enquiry was conducted and record examined by the Government.

In this regard on the basis of detailed preliminary enquiry, I am directed to provide information of commission of cognizable offences in the recruitments, the details of which are as under:-

" 1. That the Government of H.P. vide letter No.Coop-B(15)-2/2008 dated 22-07-2010 withdrew powers of RCS to approve recruitments in Cooperative Banks due to deteriorating financial position of banks.
2. That the State Finance Department vide advice dated 07-04-2011 reiterated the decision of the Govt. issued vide letter No. Coop-B(15)-2/2008 dated 22-07-2010.
3. That the then Secretary (Cooperation) Govt. of H.P. without powers, over ruled the letter dated 22-07-2010 and FD advice dated 07-04-011 and allowed RCS to grant permission to fill posts in Cooperative banks citing improved financial position of banks although there was not even a recommendation/request from RCS to grant relaxation. This helped in opening of floodgates for recruitments in the banks and allowed Bank Managements & RCS to further hatch conspiracy.
4. That the Chairman & MD of HPSCB, KCCB and HPARDB in criminal conspiracy with RCS relaxed the rule of making recruitment through IBPS so that the same could be filled through H.P. State School Education Board which was neither competent nor authorized to enter the field of holding recruitment tests. This occurred in the year 2015-16. Strangely, Jogindra Bank even after above recruitments continued to make recruitments through IBPS as per rules which reveals the fact that there was neither legal nor justifiable ground for making recruitments in HPSCB, KCCB

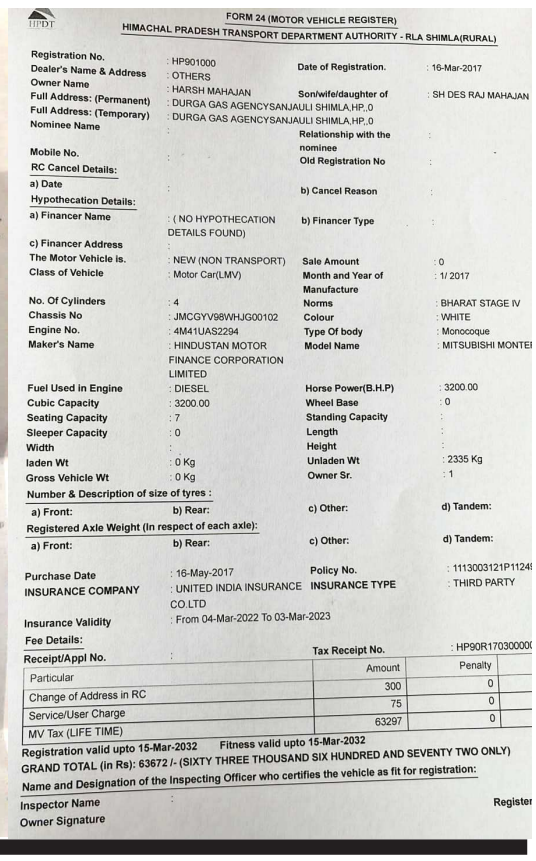

FORM 24 (MOTOR VEHICLE REGISTER)
HIMACHAL PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT AUTHORITY - RLA SHIMLA(RURAL)

Registration No.	: HP901000	Date of Registration.	: 16-Mar-2017
Dealer's Name & Address	: OTHERS		
Owner Name	: HARSH MAHAJAN	Son/wife/daughter of	: SH DES RAJ MAHAJAN
Full Address: (Permanent)	: DURGA GAS AGENCYSANJAULI SHIMLA,HP,0		
Full Address: (Temporary)	: DURGA GAS AGENCYSANJAULI SHIMLA,HP,0		
Nominee Name	:	Relationship with the nominee	:
Mobile No.	:	Old Registration No	:
RC Cancel Details:			
a) Date	:	b) Cancel Reason	:
Hypothecation Details:			
a) Financer Name	: (NO HYPOTHECATION DETAILS FOUND)	b) Financer Type	:
c) Financer Address	:		
The Motor Vehicle is.	: NEW (NON TRANSPORT)	Sale Amount	: 0
Class of Vehicle	: Motor Car(LMV)	Month and Year of Manufacture	: 1/ 2017
No. Of Cylinders	: 4	Norms	: BHARAT STAGE IV
Chassis No	: JMCGYV98WHJG00102	Colour	: WHITE
Engine No.	: 4M41UAS2294	Type Of body	: Monocoque
Maker's Name	: HINDUSTAN MOTOR FINANCE CORPORATION LIMITED	Model Name	: MITSUBISHI MONTE
Fuel Used in Engine	: DIESEL	Horse Power(B.H.P)	: 3200.00
Cubic Capacity	: 3200.00	Wheel Base	: 0
Seating Capacity	: 7	Standing Capacity	:
Sleeper Capacity	: 0	Length	:
Width	:	Height	:
laden Wt	: 0 Kg	Unladen Wt	: 2335 Kg
Gross Vehicle Wt	: 0 Kg	Owner Sr.	: 1
Number & Description of size of tyres :			
a) Front:	b) Rear:	c) Other:	d) Tandem:
Registered Axle Weight (In respect of each axle):			
a) Front:	b) Rear:	c) Other:	d) Tandem:
Purchase Date	: 16-May-2017	Policy No.	: 1113003121P1124
INSURANCE COMPANY	: UNITED INDIA INSURANCE CO.LTD	INSURANCE TYPE	: THIRD PARTY
Insurance Validity	: From 04-Mar-2022 To 03-Mar-2023		
Fee Details:			
Receipt/Appl No.	:	Tax Receipt No.	: HP90R170300000

Particular	Amount	Penalty
Change of Address in RC	300	0
Service/User Charge	75	0
MV Tax (LIFE TIME)	63297	0

Registration valid upto 15-Mar-2032 Fitness valid upto 15-Mar-2032
GRAND TOTAL (in Rs): 63672 /- (SIXTY THREE THOUSAND SIX HUNDRED AND SEVENTY TWO ONLY)
Name and Designation of the Inspecting Officer who certifies the vehicle as fit for registration:
Inspector Name :
Owner Signature